भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2705

दिनांक 16 दिसम्बर, 2025

घटिया बीज, खाद और कीटनाशकों का प्रभाव

2705. श्री हनुमान बेनीवाल

क्या **कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राजस्थान तथा अन्य राज्यों में बेचे जाने वाले नकली एवं घटिया बीजों, उर्वरकों एवं कीटनाशकों के कृषि उत्पादन पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव का पता लगाने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद अथवा किसी अन्य संगठन के माध्यम से कोई वैज्ञानिक अध्ययन कराया है;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के दौरान किये गये ऐसे वैज्ञानिक अध्ययनों के निष्कर्ष का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने नकली एवं घटिया उर्वरक एवं बीज उत्पादित करने वाली कंपनियों अथवा संगठनों के विरूद्ध कोई कार्रवाई की जा रही है;

(घ) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा ऐसे विक्रेताओं के विरूद्ध वर्ष-वार क्या कार्रवाई की गई है; और

(ड.) किसानों को उनकी मांग पर गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराने हेतु सरकार की ठोस कार्य योजना का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री
(श्री भागीरथ चौधरी)

(क) **एवं (ख) :** वैसे तो, भाकृअनुप (आईसीएआर) ने राजस्थान और अन्य राज्यों में बेचे जाने वाले कृषि उत्पादों पर नकली और निम्न गुणवत्ता वाले बीजों, उर्वरकों और कीटनाशकों के नकारात्मक प्रभाव का निर्धारण करने के लिए कोई वैज्ञानिक अध्ययन नहीं किया है।

तथापि, सरकार ने बीज उत्पादन ट्रैकिंग, लाइसेंसिंग, इन्वेंट्री प्रबंधन, गुणवत्ता आश्वासन और बीज प्रमाणीकरण जैसी स्वचालित प्रक्रियाओं के द्वारा उत्पादन और प्रमाणीकरण से लेकर वितरण तक बीजों के प्रारंभ से अंत तक ट्रेसिबिलिटी का पता लगाने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में SATHI (बीज ट्रेसिबिलिटी, प्रमाणीकरण और समग्र इन्वेंट्री) पोर्टल शुरू किया है।

(ग) एवं (घ) : सरकार मुख्यतः राज्य सरकारों के माध्यम से बीज अधिनियम, उर्वरक नियंत्रण संबंधी आदेश एवं कीटनाशक अधिनियम जैसे विभिन्न कानूनों के तहत नकली या निम्न गुणवत्ता वाले बीजों, उर्वरकों और कीटनाशकों को बनाने वाली कंपनियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करती है। गुणवत्ता नियंत्रण निरीक्षक नमूने एकत्र करते हैं, उनकी जांच करते हैं और यदि वे नकली पाए जाते हैं, तो वे स्टॉक जब्त कर सकते हैं, बिक्री पर रोक लगा सकते हैं, लाइसेंस रद्द कर सकते हैं और अदालती मामले दर्ज कर सकते हैं। नकली इनपुट के कारण फसल खराब होने की स्थिति में किसान भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। भारत सरकार द्वारा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मौजूदा कानूनों का कड़ाई से कार्यान्वयन सुनिश्चित करने और नकली बीज, उर्वरक और कीटनाशकों की बिक्री पर अंकुश लगाने के लिए विनिर्माण इकाइयों, भंडारण स्थलों और खुदरा दुकानों पर निगरानी मजबूत करने के लिए नियमित रूप से एडवाइजरी (सलाह) जारी की जाती है।

पिछले चार वर्षों में कुल 8,09,033 बीज के नमूने एकत्र किए गए, जिनमें से 3,33,532 को निम्न गुणवत्ता का पाया गया। इस अवधि के दौरान 15,661 चेतावनियाँ जारी की गईं, 17,551 बिक्री निषेध आदेश लागू किए गए और 286 मामलों में ज़ब्ती की कार्रवाई की गई।

कीटनाशक अधिनियम, 1968 की धारा 21 के तहत, विभिन्न राज्य सरकारों के 12316 अधिकारियों और केंद्र सरकार के 195 अधिकारियों को कीटनाशक निरीक्षक के रूप में अधिसूचित किया गया है। इन्हें परिसरों की तलाशी लेने, दस्तावेज़ ज़ब्त करने और नकली कीटनाशकों के वितरण या बिक्री को रोकने का अधिकार दिया गया है। ये निरीक्षक पूरे देश में अपने अधिकार क्षेत्र में स्थित विनिर्माण फर्मों और डीलरों/खुदरा विक्रेताओं का नियमित रूप से निरीक्षण करते हैं ताकि किसी भी प्रकार के गलत लेबल वाले/नकली/प्रतिबंधित कीटनाशकों की बिक्री को रोका जा सके।

पिछले 3 वर्षों (2022-23 से 2024-25) में कुल 242095 नमूनों का विश्लेषण किया गया, जिनमें से 6540 नमूने (2.70%) गलत ब्रांडेड पाए गए और घटिया/कम गुणवत्ता वाले कीटनाशकों के निर्माण, बिक्री और अवैध आयात में शामिल पाई गई कंपनियों के खिलाफ 1937 अभियोग शुरू किए गए हैं तथा 247 मामलों में माननीय न्यायालय द्वारा आरोपियों को दोषी ठहराया गया है।

(ङ) : घटिया गुणवत्ता वाले बीजों की बिक्री पर रोक लगाने के लिए, सरकार बीज अधिनियम और संबंधित आदेशों के तहत कड़े नियम लागू करती है। बीज निरीक्षक नियमित रूप से नमूने लेकर उनकी जांच करते हैं और घटिया या समाप्ति तिथि (एक्सपायरी डेट) वाले बीजों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करते हैं। गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए, सरकार ने 178 बीज परीक्षण प्रयोगशालाएं और 25 राज्य बीज प्रमाणन एजेंसियां स्थापित की हैं। इसके अलावा, SATHI (बीज ट्रेसिबिलिटी, प्रमाणीकरण और समग्र इन्वेंटरी) पोर्टल जो कि एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, बीज आपूर्ति श्रृंखला की गुणवत्ता और पारदर्शिता में सुधार लाने में भी सहायक है।

भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन (एनएफएसएनएम) के अंतर्गत राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों और कार्यान्वयन एजेंसियों को गुणवत्ता नियंत्रण व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है, जैसे कि नई परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना, मौजूदा परीक्षण प्रयोगशाला का उन्नयन, बीज स्वास्थ्य प्रयोगशाला, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग प्रयोगशाला आदि।

****